पत्रा संख्या– 1/प्रा0आ0–0–3–63/18.....44...../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

एम0 रामचन्द्रुडु
अपर सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,
बिहार, पटना

पटना–15, दिनांक– 06/11/18

विषयः– वर्त्तमान वित्तीय वर्ष–2018–19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्यशीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष–01 –सूखा, लघु शीर्ष–102– पीने के पानी की पूर्ति, उपशीर्ष–0001–ट्रकों एवं टैंकरों से पेयजल की ढुलाई, विपत्र कोड–39–2245011020001 में कुल ₹500.00 (पाँच करोड़ रूपये) आवंटन की स्वीकृति।

आदेशः–स्वीकृत ।

इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष– 01 –सूखा, लघु शीर्ष–102– पीने के पानी की पूर्ति, उपशीर्ष–0001– ट्रकों एवं टैंकरों से पेयजल की ढुलाई मद के अन्तर्गत वित्त विभाग, बिहार के ज्ञापांक –ब–17/ बी0सी0एफ0–आपदा–52/2018/83 सी0एफ0 दिनांक –05.11.18 तथा विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या –192/आ0प्र0 दिनांक –06.11.18 द्वारा बिहार आकस्मिकता निधि से स्वीकृत द्वारा उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

2. आवंटित/ पूर्व आवंटित राशि का जिलावार विवरणी लघुशीर्ष/उपशीर्षवार निम्न प्रकार है :–

लघुशीर्ष–102– पीने के पानी की पूर्ति
उपशीर्ष–0001–ट्रकों एवं टैंकरों से पेयजल की ढुलाई
मॉग संख्या–39 विषय शीर्ष–13 08–हथालन व्यय

(राशि रूपये लाख में)

क्र0	विभाग	पूर्व आवंटन (वित्तीय वर्ष 2018–19)	वर्तमान आवंटन (वित्तीय वर्ष 2018–19)	आवंटन का योग (वित्तीय वर्ष 2018–19)
1.	2.	3	4	5
1	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना	0.00 (शून्य)	500.00 (पाँच करोड़)	500.00 (पाँच करोड़)

4. यह आवंटन वर्ष 2018 में अनियमित एवं अल्प वर्षापात के कारण सूखा से निपटने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पत्रांक 2775 दिनांक 26.10.2018 द्वारा की गई अधियाचना के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। अनुरोध है कि आवंटित राशि से वर्ष 2018 में सूखाग्रस्त घोषित प्रखंडों में पेयजल की व्यवस्था करायी जाय।

5. आवंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नही किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

6 **आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2019 तक अवश्य भेज दिया जाय।**

7. पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नही हो पाय, तो 15.03.2019 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

8 आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष– लघु शीर्ष/ उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। **व्यय होनेवाली राशि के लिये तैयार किये गए विपत्र/ विपत्रों के ऊपर बड़े अक्षरों में लाल स्याही से " 8000–आकस्मिकता निधि " अंकित कराया जाय ।**

9. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि0 (2) दिनांक–17.4.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

10. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक15.03.2019 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

11. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ", यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरंत रिटर्न फैक्स से विभाग को सूचित किया जाय।

12. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त विभाग (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाध्किारी को दी जा रही है।

13. मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

अपर सचिव

ज्ञापांक– 44 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 06/11/18

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग(बजट) पटना/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक– 44 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 06/11/18

प्रतिलिपिः सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक– 44 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 06/11/18

प्रतिलिपिः सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक – 44 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 06/11/18

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक– 44 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 06/11/18

प्रतिलिपिः विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट)/ सांख्यिकी पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/ कार्यवाह सहायक/ आई0टी0 मैनेजर/प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव